R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 2 ♦ अगस्त 2017

मौद्रिक नीति

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017–18

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो को 6.25 से 25 आधार अंक कम करके दर 6.00 प्रतिशत किया जाए।

इसके परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख के अनुरूप है जो वृद्धि को सहारा देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति का 4% का उद्देश्य +/– 2 प्रतिशत के बैंड के भीतर हासिल करने के मध्यावधि लक्ष्य के अनुरूप है। इस निर्णय को रेखांकित करने वाले मुख्य विचारों को नीचे वक्तव्य में दिया गया है।
(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=41256)

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य

मौद्रिक नीति अंतर में सुधार करने के लिए उपाय

- मौद्रिक अंतरण में सुधार करने के दृष्टिकोण और बैंक उधार दरों को सीधे बाजार निर्धारित बेंचमार्कों से जोड़ने के तरीकों को खोजने के लिए एमसीएलआर प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक आंतरिक अध्ययन समूह गठित किया गया है। यह समूह 24 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

एलसीआर दिशानिर्देशों में संशोधन

- भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी केंद्रीय बैंक में धारित प्रारक्षित निधियां जो मेजबान देश की प्रारक्षित निधियों की आवश्यकता से अधिक हैं, को कतिपय शर्तों के अधीन उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) माना जाना चाहिए।

भारत के लिए सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री पर उच्च स्तरीय कार्यदल

- एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन करना जिसमें विशेषज्ञ और प्रमुख हितधारक होंगे, जो (i) भारत में क्रेडिट के बारे में उपलब्ध वर्तमान जानकारी की समीक्षा करेगा; (ii) अंतराल का मूल्यांकन करेगा जिसे व्यापक पीसीआर से भरा जा सकता है; (iii) अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन करेगा; और, (iv) भारत के लिए एक पारदर्शी, व्यापक और निकट–तत्काल समय पीसीआर विकसित करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित एक रोडमैप का सुझाव देगा।

ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा व्यापक ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) जारी किया जाना

- रिज़र्व बैंक क्रेडिट सूचना कंपनियों को यह निदेश देगा कि क्रेडिट संस्थाओं (सीआई) में प्रस्तुत की जाने वाली क्रेडिट सूचना रिपोर्टों (सीआईआर) में सीआईसी डेटाबेस के सभी मॉड्यूलों में उपलब्ध सारी क्रेडिट जानकारी को शामिल किया जाए।

रिजर्व बैंक का पारिवारिक सर्वेक्षण

- रिज़र्व बैंक परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) के कवरेज का विस्तार ग्रामीण और अर्ध–शहरी इलाकों में करेगा; और सीसीएस के मामले में, कवरेज 6 शहरों से बढ़ाकर 13 शहरों तक कर दिया गया है।

त्रिपक्षीय रेपो

- रिज़र्व बैंक त्रिपक्षीय रेपो शुरू करेगा जिससे कॉर्पोरेट बांड रेपो बाजार में बेहतर चलनिधि बढ़ने की संभावना है, और इस प्रकार बाजार को सरकारी प्रतिभूति रेपो के लिए एक वैकल्पिक रेपो लिखत उपलब्ध होगी।

सरलीकृत हेजिंग सुविधा

- सरलीकृत हेजिंग सुविधा योजना जिसका उद्देश्य दस्तावेजी अपेक्षाओं को कम करके और उत्पादों, उद्देश्य और हेजिंग लचीलेपन के संबंध में निदेशात्मक निर्धारणों से बचकर विनियम दर जोखिम को हेज करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करना है, को परिचालित करने संबंधी परिपत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ब्याज दर फ्यूचर्स (आईएफआर) की अलग सीमा

- बाजार का और विकास करने और यह सुनिश्चित करने कि नीलामी के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों पर एफपीआई सीमाओं के चरण के दौरान विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) की फ्यूचर्स के लिए पहुंच अबाधित हो, ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) में दीर्घावधि स्थिति के लिए एफपीआई को अलग से ₹5000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश करने की निर्धारित सीमाएं केवल ऐसी प्रतिभूतियों को अधिग्रहित करने के लिए ही उपलब्ध होंगी। हेजिंग उद्देश्यों के लिए ब्याज दर फ्यूचर्स के लिए एफपीआई की पहुंच पहले की भांति जारी रहेगी।

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=41257)

विषय सूची

	पृष्ठ
मौद्रिक नीति	
• तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017–18	1
वित्तीय बाजार विनियमन	
• त्रि–पार्टी रेपो (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2017	2
• रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पेपर दिशा–निर्देश, 2017	2
बैंकिंग विनियमन	
• व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट जारी करना	3
• चलनिधि मानकों पर बासल III रूपरेखा	3
विदेशी मुद्रा प्रबंधन	
• जोखिम प्रबंधन और अंतरबैंक लेनदेन	3
वित्तीय समावेशन और विकास	
• प्राकृतिक आपदा पोर्टल–मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली	3
• अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना	3
सरकारी और बैंक लेखा	
• साख–पत्र और बैंक गारंटी जारी करना	3
मुद्रा प्रबंधन	
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में 200 और 50 मूल्यवर्ग के बैंकनोट शुरू किए	4

वित्तीय बाजार विनियमन

त्रि-पार्टी रेपो (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2017

देश की वित्तीय प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने के लिए, 10 अगस्त 2017 को रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक हित में त्रि-पार्टी रिपो (रिजर्व बैंक) दिशा निर्देश, 2017 जारी किए। त्रि-पार्टी रेपो एक प्रकार का रेपो अनुबंध है जहां तीसरी इकाई (उधारकर्ता और ऋणदाता से अलग), जिसे त्रि-पक्ष एजेंट कहा जाता है, दो पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है ताकि संपूर्ण लेनदेन के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान और निपटान,अभिरक्षा और प्रबंधन जैसे कार्यों में सुविधा हो। 11 अप्रैल 2017 को मसौदा त्रि-पार्टी दिशानिर्देश सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए थे। प्रतिक्रिया के आधार पर, त्रि-पार्टी रिपो (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2017 को अंतिम रूप दिया गया है।

मुख्य विशेषताएं

त्रि-पार्टी रेपो के लिए पात्र संपार्श्विक प्रतिपूर्ति वह होगी, जैसा कि रेपो दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है और पात्र प्रतिभागी वह होंगे जैसाकि रेपो दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

ट्रेडिंग प्रक्रिया: रिज़र्व बैंक द्वारा इन निर्देशों के तहत प्राधिकृत द्विपक्षीय / बहुपक्षीय, गुमनाम या अन्यथा, उद्धरण या ऑर्डर चालित सहित किसी भी ट्रेडिंग प्रक्रिया का उपयोग करके त्रि-पार्टी रिपो का कारोबार किया जा सकता है।

ट्रेडिंग स्थान: त्रि-पार्टी रेपो का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों पर या स्टॉक एक्सचेंजों सहित ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) भी किया जा सकता है।

लेनदेनों की रिपोर्टिंग: सभी त्रि-पार्टी रिपो को सार्वजनिक सूचना के लिए लेनदेन के बाद 15 मिनट के भीतर भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोजन के लिए अधिकृत एक्सचेंज या किसी अन्य रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के पास रिपोर्ट किया जाए।

निपटान : सभी निपटान सुपुर्दगी (डिलिवरी) बनाम भुगतान (डीवीपी) के आधार पर, प्रतिभूतियों के साथ/बिना और/या नकदी के साथ/बिना, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत अनुमोदित गारंटी या गैर-गारंटीकृत द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एक्सचेंजों के समाशोधन गृहों (क्लीयरिंग हाउस) या किसी अन्य समाशोधन व्यवस्था के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं।

त्रि-पार्टी एजेंट:

I. पात्र त्रि-पार्टी एजेंट्स

- सभी त्रि-पार्टी एजेंटों को उस क्षमता में कार्य करने के लिए रिज़र्व बैंक से पहले अधिप्रमाणन की आवश्यकता है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंजों के समाशोधन निगम या पीएसएस अधिनियम के तहत अधिकृत समाशोधन निगम, त्रि-पार्टी एजेंट्स बनने के लिए पात्र हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाएं पात्र हैं बशर्ते वे निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करें:

भूमिकाएं और दायित्व:

- एजेंट अपने सभी सदस्यों/बाजार सहभागियों को व्यापार के लिए समान एक्सेस प्रदान करेगा।
- व्यापार प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- उल्लिखित रूप में सभी लेनदेनों की सूचना दी जाए।
- यदि एजेंट अपने लेनदेनों के निपटान का कार्य करता है, तो उसे पीएसएस अधिनियम 2007 के तहत अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए। लेनदेनों के निपटान का कार्य नहीं करने वाले एजेंट, निपटान के लिए लेनदेनों को रूट करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- एजेंट संपार्श्विक, मार्जिन, आय भुगतान के पुनर्मूल्यांकन साथ ही सदस्य समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किसी संपार्श्विक के प्रतिस्थापन के लिए जिम्मेदार होगा।
- एजेंट को पारदर्शी और विश्वसनीय संपार्श्विक मूल्यांकन मानदंडों को लागू करना होगा।
- एजेंट को आसानी से पुनः प्राप्त करने योग्य मीडिया में लेनदेनों के कम से कम 8 वर्षों तक के रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
- एजेंट रिजर्व बैंक के रेपो निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा।
- एजेंट रिज़र्व बैंक को समय-समय पर ऐसे विवरण, दस्तावेज और अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करेगा जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक समझी जाएं।

त्रि-पार्टी एजेंट के अधिप्रमाणन के लिए आवेदन प्रक्रिया:

- पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली संस्थाएं मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रथम तल, मुख्य भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई -400001 पर लागू हो सकती हैं।
- रेपो मार्केट में त्रि-पार्टी एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए संस्थाओं को अधिकृत करने का निर्णय बाजार की जरूरतों, आवेदक की उपयुक्तता और रेपो मार्केट में संभावित मूल्य में वृद्धि के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा लिया जाएगा।
- प्रक्रियाओं, जोखिम प्रबंधन ढांचे, निपटान व्यवस्था में या अनुमोदन के समय विनिर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्त में, किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन/परिवर्तनों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

निकास प्रक्रिया

यदि प्राधिकृत त्रि-पार्टी एजेंट परिचालन समाप्त करना चाहता है, तो उसे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित त्रि-पार्टी परिचालनों की समाप्ति के समय और तिथि का और किसी भी अन्य शर्त का पालन करना चाहिए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser& aspx? ID = 11088 and mode= 0)

रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पेपर दिशा-निर्देश, 2017

2 फरवरी 2017 को जारी वाणिज्यिक पेपर पर मसौदा दिशानिर्देशों पर सार्वजनिक टिप्पणियों को ध्यान में लेने के बाद देश और सार्वजनिक हित में, क्रेडिट और वित्तीय प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने 10 अगस्त 2017 को रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पेपर दिशा-निर्देश, 2017 को जारी किया।

प्रपत्र

- एक वाणिज्यिक पेपर (सीपी) एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाएगा और सेबी द्वारा अनुमोदित और पंजीकृत डिपॉजिटरी के माध्यम से डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में धारित किया जाएगा।
- सीपी को कम से कम 5 लाख रुपये और उसके गुणकों में जारी किया जाएगा।
- सीपी को अंकित मूल्य पर छूट के साथ जारी किया जाएगा।
- कोई जारीकर्ता किसी सीपी को हामीदारी या सह-स्वीकृति के अधीन जारी नहीं करेगा।
- सीपी पर विकल्प (क्रय / विक्रय) की अनुमति नहीं है।

रेटिंग आवश्यकता

पात्र जारीकर्ता, सेबी के पास पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेंगे और निम्न दो रेटिंग्स को अपनाएंगे। जहां दोनों रेटिंग्स समान होंगे वहां दो राशियों में से निम्न राशि जिसके लिए रेटिंग प्राप्त किया गया हैं उसको विचार में लिया जाएगा। सेबी द्वारा निर्धारित प्रतीक और परिभाषा के अनुसार सीपी के लिए न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग 'ए 3' होगा।

दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाएं

जारीकर्ता, निवेशक और जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (आईपीए) भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्मडा) द्वारा 'सीपी पर जारी परिचालनगत दिशानिर्देशों' निर्धारित मानक प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण का पालन करें।

सीपी के सेकेंडरी बाजार लेनदेन और निपटान

- सीपी में सभी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) लेनदेनों को लेनदेन के 15 मिनट के अंदर क्लियरकार्प डीलिंग सिस्टम (इंडिया) लिमिटेड की फांइनेंसियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग और कन्फर्मेशन प्लेटफार्म (''एफ-टीआरएसी'') को सूचित किया जाएगा।
- सीपी में ओटीसी लेनदेनों के लिए निपटान चक्र T+0 या T+1 होगा।
- सीपी में ओटीसी लेनदेनों को किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन या रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य कार्यप्रणाली के माध्यम से निपटाया जाएगा।

सीपी की पुनर्खरीद

- पूरे या हिस्से में, एक सीपी की पुनर्खरीद, मौजूदा बाजार मूल्य पर होगी।
- सीपी मुद्दे में सभी निवेशकों को पुनर्खरीद ऑफर प्रदान किया जाना चाहिए। इस मुद्दें में सभी निवेशकों को पुनर्खरीद की शर्तें समान होनी चाहिए।
- जारी होने की तारीख से 30 दिनों से पहले पुनर्खरीद ऑफर नहीं दिया जा सकता है।
- वापस खरीदे गए सीपी को नष्ट माना जाएगा।

कर्तव्य और दायित्व

दिशानिर्देश में जारीकर्ता, जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (आईपीए) और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) के कर्तव्यों और दायित्वों को भी सूचीबद्ध किया हैं।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11089Mode=0)

बैंकिंग विनियमन

व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट जारी करना

2 अगस्त 2017 को रिज़र्व बैंक ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया था कि क्रेडिट संस्थानों (सीआई) के लिए उधारकर्ता के संबंध में क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) में सभी मॉड्यूलों में उपलब्ध सभी क्रेडिट जानकारी को शामिल करना है, उदाहरण के लिए, उधारकर्ता के संबंध में उपभोक्ता, वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई)आदि।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Mode=0Id=11077)

चलनिधि मानकों पर बासल III रूपरेखा

रिज़र्व बैंक ने 2 अगस्त 2017 को चलनिधि मानकों पर बासल III रूपरेखा - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटन मानक के दिशा निर्देशों पर बासल III रूपरेखा के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया।

बैंकों के लेवल 1 आस्ति में अब निम्नलिखित शामिल होंगे और इन आस्तियों को बिना किसी सीमा के और बिना किसी बदलाव के चलनिधि आस्ति के स्टॉक में शामिल किया जा सकता है:

(i) आवश्यक सीआरआर से अधिक आरक्षित नकद सहित नकद।
(ii) न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां।
(iii) अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत, आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियां।
(iv) चुनिंदा शर्तों को पूरा करने पर विदेशी सॉवरेन द्वारा जारी या गारंटीकृत की गई बाज़ार योग्य प्रतिभूतियां ।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11078Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन और अंतरबैंक लेनदेन

10 अगस्त 2017 को रिज़र्व बैंक ने एडी श्रेणी- I के बैंक के प्रमुख / प्रधान कार्यालय को सूचित किया है कि वे फार्म बीएएल में पखवाड़ा आधार पर अपने सभी विदेशी मुद्राओं की होल्डिंग का विवरण ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के माध्यम से रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त होने से जिससे वो संबंधित है, के 7 कैलेंडर दिन के भीतर https://bop.rbi.org पर वेब पोर्टल के माध्यम से,16 अगस्त 2017 से (अर्थात अगस्त 2017 के पहले पखवाड़े के विवरण के लिए) प्रस्तुत करें। एडी श्रेणी- I के बैंक के प्रमुख / प्रधान कार्यालय को यह भी सूचित किया गया है कि वे पहले की तरह नोस्ट्रो/वोस्ट्रो एकांउट बेलेंस के मासिक विवरण को प्रस्तुत न करें।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11087Mode=0)

वित्तीय समावेशन और विकास

प्राकृतिक आपदा पोर्टल-मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली

रिज़र्व बैंक ने 3 अगस्त 2017 को सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिया कि वे अप्रैल - जून 2017 के दौरान प्रदान किए गए राहत उपायों पर वास्तविक डेटा तत्काल अपलोड करें और इसके पश्चात जुलाई 2017 से प्रत्येक माह अगले महीने के 10 तारीख तक, एक समर्थित पोर्टल पर, जिसे एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के आंकड़ों के संग्रह और संकलन के लिए विकसित किया गया पर अपलोड करें।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजक बैंकों को भी प्राकृतिक आपदाओं की घोषणा के लिए राज्य / जिला प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचनाएं अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है, जिसके लिए अप्रैल 2017 से एसएलबीसी / बैंकों द्वारा राहत उपायों को लागू किया गया था। अधिसूचनाओं के जारी होने के बाद तुरंत ही बाद की अधिसूचनाओं को अपलोड किया जाना चाहिए।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11080Mode=0)

अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना

16 अगस्त 2017 को रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए 3.00 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण के लिए कुछ शर्तों के साथ ब्याज सहायता योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसलिए, सभी ऋण देने वाले बैंकों को 2015-16 के पात्र लंबित लेखापरीक्षित दावों को 31 अगस्त 2017 तक भेजने की सलाह दी गई है और अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना का पर्याप्त प्रचार प्रदान करें ताकि किसान लाभ का फायदा उठा सकें।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11098Mode=0)

सरकारी और बैंक लेखा

साख-पत्र और बैंक गारंटी जारी करना

समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि रिजर्व बैंक सरकार की तरफ से साख-पत्र जारी नहीं करेगा और जहां तक बैंक गारंटी से संबंधित लेनदेन का संबंध है, सरकार को जारी करने या सलाह देने वाले बैंक के रूप में कार्य नहीं करेगा। संबंधित सरकारी विभाग सीधे उनके द्वारा निर्धारित किसी भी वाणिज्यिक बैंक के साथ मामला उठाएंगे और रिज़र्व बैंक को शामिल किए बिना,साख-पत्र जारी करने से संबंधित सभी मामलों को सरकार और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निपटाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक की भूमिका सरकार द्वारा डेबिट अधिदेश के कार्य के पश्चात, सरकार की ओर से ऐसे साख-पत्र / बैंक गारंटी के लिए बैंकों द्वारा किए गए भुगतानों की प्रतिपूर्ति तक ही सख्ती से सीमित है। आगे, रिजर्व बैंक सरकारी विभाग की ओर से वाणिज्यिक बैंकों को साख-पत्र/ बैंक गारंटी खोलने की सलाह देने/ संस्तुति करने वाला कोई भी पत्र जारी नहीं कर सकता है।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11081Mode=0)

मुद्रा प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹200 और ₹50 मूल्यवर्ग के बैंकनोट शुरू किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹200 और ₹50 मूल्यवर्ग के नोट क्रमशः 25 अगस्त 2017 और 18 अगस्त 2017 को शुरू किए। दोनों मूल्यवर्ग बैंकनोटों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर हैं।

₹200 मूल्यवर्ग के बैंकनोट की शुरुआत से आम आदमी के लिए विनिमय लेनदेन सुगम होने और छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए मूल्यवर्ग की पूरी श्रृंखला उपलब्ध होने की संभावना है। ये नोट चयनित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालयों और बैंकों में ही उपलब्ध हैं। इन नोटों का उत्पादन करेंसी मुद्रण प्रेसों द्वारा बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में जब अधिक नोट मुद्रित हो जाएंगे तब इन्हें बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देशभर में वितरित किया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में जनता के लिए उपलब्ध होंगे।

₹200

- आकारः 66 मिमी 146 मिमी
- थीमः पृष्ठभाग पर सांची स्तूप का रूपांकन जिसपर देश की सांस्कृतिक विरासत को चित्रित किया गया है
- रंगः चमकीला पीला
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिएः महात्मा गांधी का चित्र इंटैलियो या उभरी हुई छपाई में, अशोक स्तंभ प्रतीक, माइक्रो-टेक्सट ₹200 के साथ उभरा हुआ पहचान चिह्न H, नोट के बायीं और दायीं दोनों तरफ लाइनों के बीच दो वृत्तों के साथ चार कोणीय ब्लीड लाइनें
- मूल्यवर्ग अंक 200 के साथ लेटेंट चित्र
- रंग बदलाव सहित ''भारत'', RBI' के साथ विडोंड सुरक्षा धागा।
- नोट को तिरछा करके देखने पर धागे का रंग हरे से नीले में परिवर्तित होता है।
- दायीं तरफ नीचे रंग परिवर्तक स्याही (हरा से नीला) में ₹200 रूपए चिन्ह के मूल्यवर्ग अंक

₹50

- आकारः 66 मिमी 135 मिमी
- थीमः पृष्ठभाग पर रथ के साथ हम्पी का रूपांकन जिसपर देश की सांस्कृतिक विरासत को चित्रित किया गया है
- रंगः फ्लोरोसेंट नीला
- उत्कीर्ण लेख ''भारत'', RBI' के साथ विडोंड गैर-धातुयी सुरक्षा धागा

नए ₹50 और ₹200 के नोटों की आम विशेषताएं

पृष्ठभाग (आगे)

1. मूल्यवर्ग अंक के साथ आर-पार मिलान
2. देवनागरी में मूल्यवर्ग अंक
3. मध्य में महात्मा गांधी का चित्र
4. सूक्ष्म अक्षरों में 'RBI', 'भारत', 'India' और अंक
5. महात्मा गांधी के चित्र के दायीं तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर का हस्ताक्षर और आरबीआई प्रतीक
6. दायीं तरफ अशोक स्तंभ का प्रतीक
7. महात्मा गांधी चित्र और इलेक्ट्रोटाइप (अंक) वाटर मार्क
8. संख्या पैनलों में छोटे से बढ़ते आकार के अंक ऊपर बायीं तरफ तथा नीचे दायीं तरफ

पृष्ठभाग (पीछे)

9. नोट के बायीं तरफ में मुद्रण वर्ष
10. स्लोगन सहित स्वच्छ भारत लोगो
11. भाषा पैनल
12. देवनागरी में मूल्यवर्ग अंक

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।